

पत्रांक:-14 / न-28 / 2020.....

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

तसनीमुर रहमान,
विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली – 110092

पटना, दिनांक.....

विषय:- शकुनी चौधरी द इंटरनेशनल स्कूल, पार्वती नगर, तारापुर, मुँगेर को CBSE बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि शकुनी चौधरी द इंटरनेशनल स्कूल, पार्वती नगर, तारापुर, मुँगेर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गए कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिये शपथ-पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों एवं जाँच समिति के प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई:-

1. यह विद्यालय **Help For You** के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ-पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निवारित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाइजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया गया है।
3. विद्यालय 150.0 डिसमिल भूमि 29 वर्ष 11 महीने के लीज पर भूमि पर उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
4. विद्यालय में शिक्षक नियुक्त है। विद्यालय में कुल 24 शिक्षक है। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कारबाई करे इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप में सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना अख्या-238, दिनांक-04.04.2008 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार-

Manager विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य विद्यालय की नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी 'में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पृष्ठांडा, बंगा, अरथा
Shakuni Chaudhary The International School Parvatी Nagar, Tarapur, Bihar-813201

Principal **Shakuni Chaudhary** The International School Parvatī Nagar, Tarapur, Munger, Bihar-813201

पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रूपया 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/केऽ जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/केऽ जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी शर्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही सी० बी० एस० ई० को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कारबाई की जाएगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक-18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालय द्वारा पालन किया करना होगा।

11. विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शकुनी चौधरी द इंटरनेशनल स्कूल, पार्वती नगर, तारापुर, मुँगेर को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सी० बी० एस० ई० अपने स्तर से संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की संबंधता देने पर विचार करेगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(तसनीमुर रहमान)

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

जापांक:-14/न-28/2020.....

पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुँगेर को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

जापांक:-14/न-28/2020.....

पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, शकुनी चौधरी द इंटरनेशनल स्कूल, पार्वती नगर, तारापुर, मुँगेर को

Manager
Shakuni Chaudhary
The International School
Parvati Nagar, Tarapur,
Munger, Bihar-813201

Principal
Shakuni Chaudhary
The International School
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
Parvati Nagar, Tarapur,
Munger, Bihar-813201